

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./आंधी-तूफान/2021-22/स्वीकृति/2022/1739

दिनांक: 27 / 07 / 2022

-: आदेश :-

उपखण्ड कार्यालय पीपलखूँट के पत्र क्रमांक: सहायता/2022/272 दिनांक 06.07.2022 द्वारा उनके उपखण्ड क्षेत्र में आंधी-तूफान से मकानक्षति पर पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंसा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार पीपलखूँट/सुहागपुरा की अनुशंसा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 01 (01) (D) में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आंधी-तूफान से मकानक्षति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01.	श्री राजू पिता विरजी भील निवासी चरपोटापाड़ा प.म. घंटाली तहसील पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़	दिनांक 13.07.2021 को आंधी-तूफान से पक्का मकान आंशिक (अपूर्ण) क्षतिग्रस्त होने पर	5200 / -रु.
02.	श्री मन्सू पिता विरजी भील निवासी पन्थोल प.म. छरी तहसील पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़	दिनांक 13.07.2021 को आंधी-तूफान से पक्का मकान आंशिक (अपूर्ण) क्षतिग्रस्त होने पर	5200 / -रु.
कुल योग			10400 / -रु.

(अक्षरे दस हजार चार सौ रुपये मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा :
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़/चक्रावात, 113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण हेतु सहायता (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनः निर्माण के लिए सहायता, 07- आंशिक क्षतिग्रस्त घर, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।



(सौरभ स्वामी)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./आंधी-तूफान/2021-22/स्वीकृति/2022/1740-46

दिनांक: 27 / 07 / 2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी पीपलखूँट।
- तहसीलदार, पीपलखूँट/सुहागपुरा।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़